



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर

(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



कमांक एफ 5(21)ग्रावि/नरेगा/जनरल/2021-22

जयपुर, दिनांक

01 SEP 2021

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :- प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना सम्बन्धित गतिविधियों की पूर्व तैयारी बाबत ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के संबंध में विभाग द्वारा निस्तारित किए जाने वाले आम जनता से जुड़े कार्यों की सूची एवं प्रपत्र संलग्न कर अनुरोध है कि अभियान से पूर्व उक्त सूची अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति अपडेट करने के सम्बन्ध में श्रमिकों के मोबाईल नं०, नवीन जॉब जारी करने एवं हटाने, कर्नलजेन्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित लाईन विभागों से विस्तृत चर्चा, जिन श्रमिकों के खाता नम्बर सही नहीं है, उनके सही खाता नम्बर प्राप्त किये जाकर नरेगा सॉफ्ट पर प्रविष्टि की जावे। ताकि अभियान के दौरान लक्ष्य के अनुसार कार्यों की शत प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

अभियान के दौरान विभागीय पत्र द्वारा वार्षिक कार्य योजना हेतु जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतवार महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा कर अनुमोदित भी कराया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस
31/8/21

महात्मा गांधी नरेगा

1. नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन (updtation) करना।
2. लाईन विभाग (PWD, Forest & Water Resourse) अपने विभाग की राशि का महात्मा गांधी योजना से कन्वर्जेन्स कर कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
3. योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाईल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि करना।
4. योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक का खाता संख्या सही नहीं है तो उसे अपडेट करना।
5. योजनान्तर्गत समस्त कार्यों की जीओ टैगिंग करना।
6. कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना।
7. कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना।
8. 7 रजिस्ट्रों का संधारण।

न. ग. मिश्रा
31.8.21.

